अत्यन्त आवश्यक/महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई0मेल0

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
" वर्कचार्ज वर्ग"

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्र सं0–203 /23 का0प्र0–अधि0/20 दिनांकः– 27.05.2020

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय/राष्ट्रीय राजमार्ग/ए0डी0बी0/
पी0एम0जी0एस0वाई0 कार्यालय, लो0नि0वि0,
देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।

विषय :– एस0एल0पी0 (सिविल) सं0– 4371/2011 प्रेम सिंह बनाम, उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2019 के अनुपालन हेतु वर्कचार्ज कार्मिकों को पेंशन का लाभ अनुमन्य किये जाने के लिए वेतन निर्धारण/ पेंशन की जांच तथा परीक्षण का कार्य अत्यन्त तत्परता/समयबद्धता के साथ सम्पादित किये जाने हेतु दिशा–निर्देश।

सन्दर्भ :–(1) इस कार्यालय का पत्र सं0– 3634/435 लेखा (पेंशन–ग0क्षे0)/2019–20 दिनांक 21.11.2019।
(2) इस कार्यालय का कार्यालय ज्ञाप सं0– 163/23 का0प्र0–अधि0/20 दिनांक 17.03.2020।
(3) शासनादेश सं0 64/XXVII (6)–टी0सी0 594/9/2014/2020 दिनांक 04.05.2020।

महोदय,

एस0एल0पी0 (सिविल) सं0– 4371/2011 प्रेम सिंह बनाम, उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2019 के अनुसार वर्कचार्ज अधिष्ठान में की गई सेवाएं, पेंशन तथा ग्रेज्युटी के लाभ हेतु अर्हकारी मानी गयी है तथा सम्बन्धित कार्मिकों को दिनांक 01.09.2016 से पेंशन एवं ग्रेज्युटी की धनराशि का भुगतान भी समयबद्धता के आधार पर सुनिश्चित किया जाना है।

उक्त प्रकरण, मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय से आच्छादित होने के दृष्टिगत प्रशासकीय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा भी विषयक प्रकरण में वर्कचार्ज कार्मिकों को पेंशन एवं ग्रेज्युटी का लाभ प्रदान किये जाने की निरंतर गहन समीक्षा की जा रही है तथा सम्बन्धित कार्मिकों को अनुमन्य पेंशन एवं ग्रेज्युटी का लाभ उच्च प्राथमिकता/तत्परता के आधार पर प्रदान किये जाने के लिए निरन्तर कड़े दिशा–निर्देश प्रदान किये जा रहे है।

उक्त परिपेक्ष्य में सम्बन्धित कार्मिकों को पेंशन/ग्रेज्युटी का लाभ, समयबद्ध, उच्चप्राथमिकता तथा युद्धस्तर पर अनुमन्य कराये जाने के दृष्टिगत निम्न प्रकार कार्य सम्पादन के निर्देश प्रदान किये जाते है।

1. समस्त अधिशासी अभियन्ताओं (आहरण वितरण अधिकारी) के द्वारा सम्बन्धित वर्कचार्ज कार्मिकों के प्रमाणिक एवं उपलब्ध सेवा अभिलेखों के आधार पर वर्कचार्ज कार्मिक की सेवानिवृत्त तिथि पर प्राप्त वेतन के अनुसार पेंशन/ग्रेज्युटी की गणना का कार्य, खण्डीय कार्यालय स्तर पर दिनांक 02.06.2020 से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा, जिसका गहन जांच एवं परीक्षण, खण्डीय कार्यालय स्तर पर सम्बन्धित अधिष्ठान लिपिक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तथा खण्डीय लेखाधिकारी/ वरिष्ठ खण्डीय लेखाधिकारी अर्थात् खण्ड स्तर पर त्रिस्तरीय सदस्यो के द्वारा सम्पादित किया जायेगा, सम्बन्धित कार्मिकों के निर्धारित वेतन / पेंशन प्रपत्रों पर खण्डीय कार्यालय स्तर के समिति सदस्यों (तीनों सदस्यों) के हस्ताक्षर (पदनाम सहित) एवं सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (आहरण–वितरण अधिकारी) के हस्ताक्षरोपरांत, खण्डस्तर पर तैयार किये गये प्रकरणों को आवश्यक जांच एवं परीक्षण हेतु सम्बन्धित खण्डीय अधिष्ठान सहायक एवं खण्डीय लेखाधिकारी/वरिष्ठ खण्डीय लेखाधिकारी के माध्यम से प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में दिनांक 03.06.2020 से दिनांक 04.07.2020 के मध्य (Social Distance का अनुपालन करते हुए) संलग्नक समय सारिणी के अनुसार अनिवार्य/ अपरिहार्य रूप से प्रस्तुत किये जायेगें।

(क्रमशः पृष्ठ सं0–2 पर)

2. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (आहरण एवं वितरण अधिकारी) का यह भी दायित्व होगा कि वर्कचार्ज कार्मिकों को अनुमन्य पेंशन/ग्रेज्युटी के लाभ का निर्धारण, खण्ड स्तर पर गठित समिति के सदस्यों के द्वारा भली–भांति कर लिया गया है तथा विषयक प्रकरणों की अग्रेत्तर जांच एवं परीक्षण का कार्य, खण्डीय अधिष्ठान सहायक एवं खण्डीय लेखाधिकारी/वरिष्ठ खण्डीय लेखाधिकारी के माध्यम से प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर, निर्धारित समयान्तर्गत सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित खण्डीय अधिष्ठान सहायक एवं खण्डीय लेखाधिकारी/ वरिष्ठ खण्डीय लेखाधिकारी को समुचित दिशा–निर्देश भी प्रदान किये जायेगें,

3. उपरोक्तानुसार निहित बिन्दु–1 एवं 2 का अनुपालन सुनिश्चित नही किये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (आहरण एवं वितरण अधिकारी) स्वयं उत्तरदायी होगें तथा विषयक प्रकरणों में प्रभावित कार्मिकों को पेंशन/ग्रेज्युटी का नियामानुसार अनुमन्य लाभ, समयान्तर्गत प्राप्त न हो पाने के लिए भी उत्तरदायी माने जायेगें।

4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर विज्ञ अधिष्ठान सहायक/ प्रशासनिक अधिकारी/ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (किन्ही 02 कार्मिकों) सम्बन्धित लेखाकारों (गढ़वाल एवं कुमाऊ क्षेत्र) के द्वारा खण्डीय कार्यालयों से प्राप्त वेतन/ पेंशन निर्धारण की जांच तथा परीक्षण का कार्य विद्यमान नियमों तथा सुसंगत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा सम्बन्धित प्रकरणों के जांच एंव परीक्षण में सहायक लेखाधिकारी का परामर्श प्राप्त किये जाने के साथ–साथ महत्वपूर्ण/ जटिल सेवा प्रकरणों में वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का मार्ग–दर्शन/दिशा–निर्देश अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा, तदोपरांत वर्कचार्ज कार्मिकों के वेतन/पेंशन निर्धारण सम्बन्धी प्राप्त अन्य प्रकरणों में खण्डीय कार्यालय स्तर पर सम्बन्धित अधिष्ठान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं खण्डीय लेखाधिकारी/ वरिष्ठ खण्डीय लेखाधिकारी के स्तर पर विद्यमान नियमों तथा सुसंगत सेवा नियमों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण की कार्यवाही करते हुए, त्रुटिहीन तथा नियमसंगत जांच प्रकरण ही जांच एवं परीक्षण हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्रेषित किये जायेगें, ताकि सम्बन्धित प्रकरणों के जांच एवं परीक्षण में समय की बचत होने के साथ–साथ सम्बन्धित कार्मिकों को अनुमन्य लाभ प्रदान किये जाने में विलम्ब की सम्भावना न रहें। यह भी निर्देशित करना है कि वेतन निर्धारण/पेंशन निर्धारण सम्बन्धी, जिन प्रकरणों में वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा आवश्यक जांच एवं परीक्षण कर लिया गया हो ऐसे प्रकरणों को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं (आहरण एवं वितरण अधिकारी) के द्वारा पेंशन/ ग्रेज्युटी की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित कोषागारों/ निदेशालय पेंशन एवं कोषागार सेवाएं को अविलम्ब/ शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर गठित समिति के द्वारा खण्डीय कार्यालय स्तर से प्राप्त प्रकरणों की जांच एवं परीक्षण का कार्य, उच्चप्राथमिकता, तत्परता तथा युद्धस्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रकरणों में पायी गयी कमियां/त्रुटियां, आवश्यक निराकरण हेतु सम्बन्धित खण्डीय कार्यालय के अधिष्ठान सहायक एवं खण्डीय लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से हस्तगत की जायेगी, जिनका निराकरण, सम्बन्धित खण्डीय कार्यालयों के अधिष्ठान सहायक एवं खण्डीय लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी के द्वारा यथासम्भव ई0मेल0 के माध्यम से खण्डों से सूचना प्राप्त करते हुए अथवा आवश्यक प्रमाणिक अभिलेख ई0मेल0 के माध्यम से प्राप्त करते हुए, सुनिश्चित किया जायेगा। जिन प्रकरणों में इंगित त्रुटियों/ कमियों का निराकरण ई0मेल0 के माध्यम से कराया जाना सम्भव न हो पाये तो ऐसे प्रकरणों को सम्बन्धित अधिष्ठान सहायक एवं खण्डीय लेखाधिकारी/ वरिष्ठ लेखाधिकारी के द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर से मूल रूप में वापस प्राप्त कर लिया जायेगा तथा खण्डीय कार्यालय स्तर पर इंगित त्रुटियों/ आपत्तियों का नियमान्तर्गत निराकरण कराये जाने के उपरांत प्रकरण पुनः जांच एवं परीक्षण हेतु खण्डीय अधिष्ठान सहायक एवं खण्डीय लेखाधिकारी/ वरिष्ठ लेखाधिकारी के माध्यम से प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में दि0 05.07.2020 से दि0 15.07.2020 की कार्यावधि के दौरान (Social Distance का अनुपालन करते हुए)प्रस्तुत किये जायेगें।

6. विषयक प्रकरणों के समयबद्ध क्रियान्वयन/कार्य सम्पादन की समीक्षा, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं (आहरण एवं वितरण अधिकारी), सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं, सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के साथ–साथ प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान), वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर (अधिष्ठान) तथा मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान) के स्तर पर निरंतर की जायेगी तथा विषयक प्रकरणों में उत्पन्न कार्यसम्पादन कठिनाईयों तथा नीतिगत निर्णयों पर समुचित कार्यवाही करेगें।

(क्रमशः पृष्ठ सं0–3 पर)

प्रकरण, अत्यन्त महत्वपूर्ण, समयबद्ध तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों से आच्छादित है, जिसके समयबद्ध क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा अनुपालन कार्यवाही हेतु अधीनस्थ अधिशासी अभियन्ताओं (आहरण एवं वितरण अधिकारी) एवं अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ताओं को प्रभावी दिशा–निर्देश आज ही प्रदान करने का कष्ट करें तथा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, कार्यालय स्तर पर भी विषयक प्रकरणों में समयबद्ध कार्यवाही हेतु निरंतर अनुश्रवण किया जाय।

संलग्न :– खण्ड/वृत्तवार निर्धारित समयसारिणी।

(इं0 हरिओम शर्मा),
प्रभारी, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार निहित आदेशों तथा निधारित कार्यप्रक्रिया के अनुसार समुचित अनुपालन एवं समयबद्ध कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, स्तर–।। (अधिष्ठान) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष , लो0नि0वि0, देहरादून।
3. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर (अधिष्ठान) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष , लो0नि0वि0, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ...वॉ, वृत्त लोक निर्माण विभाग.................................।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता (आहरण एवं वितरण अधिकारी), प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/वि0यॉ0/रा0मा0/ ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लो0नि0वि0,...............................।
6. अधिशासी अभियन्ता, (अधिष्ठान) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
7. आई0टी0 सैल कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र संलग्नक सहित आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त कार्यालयों को ई–मेल भी करना सुनिश्चित करें।
8. प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान) /वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान)/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
9. सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।

संलग्न :– खण्ड/वृत्तवार निर्धारित समयसारिणी।

27/5/2020

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

पत्र सं0–203 /23 का0प्र0–अधि0/20 दिनांक:– 27-05.2020 का संलग्नक।

वर्कचार्ज के कार्मिकों के वेतन/पेंशन निर्धारण सम्बन्धी प्रकरणों के जांच–परीक्षण हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में निर्धारित तिथि (खण्डवार/वृत्तवार समय–सारिणी)।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	अधीनस्थ खण्डों का विवरण	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में वेतन/पेंशन निर्धारण प्रकरणों के जांच एवं परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि
1	अधीक्षण अभियन्ता, 9वॉं वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।	समस्त खण्ड (प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई)	दिनांक 03.06.2020 से 06.06.2020 तक
2	अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0, ऊधमसिंहनगर।	समस्त खण्ड (प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई)	दिनांक 08.06.2020 से 09.06.2020 तक
3	अधीक्षण अभियन्ता, 11वॉं वि.यॉं. वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।	समस्त वि0यॉं0 खण्ड	दिनांक 10.06.2020 से 11.06.2020 तक
4	अधीक्षण अभियन्ता, 5वॉं वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।	समस्त वि0यॉं0 खण्ड	
5	अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, हरिद्वार।	समस्त खण्ड (प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई)	दिनांक 12.06.2020 से 13.06.2020 तक
6	अधीक्षण अभियन्ता, 10वॉं रा0मा0वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।	समस्त राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड	दिनांक 15.06.2020 से 16.06.2020 तक
7	अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।	समस्त राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड	
8	अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी।	समस्त ए0डी0बी0 खण्ड	दिनांक 17.06.2020 से 18.06.2020 तक
9	अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।	समस्त ए0डी0बी0 खण्ड	
10	अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0 वाई0 वृत्त लो0नि0वि0, मसूरी	समस्त पी0एम0जी0एस0 वाई0 खण्ड	
	अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0 वाई0 वृत्त लो0नि0वि0, श्रीनगर	समस्त पी0एम0जी0एस0 वाई0 खण्ड	
	अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0 वाई0 वृत्त लो0नि0वि0, गोपेश्वर	समस्त पी0एम0जी0एस0 वाई0 खण्ड	
11	अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉं वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी।	समस्त खण्ड (प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई)	दिनांक 19.06.2020 से 20.06.2020 तक
12	अधीक्षण अभियन्ता, 6वॉं वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।	समस्त खण्ड (प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई)	दिनांक 22.06.2020 से 23.06.2020 तक
13	अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल।	समस्त खण्ड (प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई)	दिनांक 24.06.2020 से 25.06.2020 तक
14	अधीक्षण अभियन्ता, 12वॉं वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी।	समस्त खण्ड (प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई)	दिनांक 26.06.2020 से 27.06.2020 तक
15	अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।	समस्त खण्ड (प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई)	दिनांक 29.06.2020 से 30.06.2020 तक
16	अधीक्षण अभियन्ता, 7वॉं वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर।	समस्त खण्ड (प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई)	दिनांक 01.07.2020 से 02.07.2020 तक
17	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।	समस्त खण्ड (प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई)	दिनांक 03.07.2020 से 04.07.2020 तक